इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2011—फाल्गुन 20, शक 1932

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोती महल, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 11 मार्च 2011

शुद्धि-पत्र

क्र. 6(स) पॉपी-2011-12-117.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26 फरवरी 2011 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमाकं 84 दिनांक 26 फरवरी 2011 अफीम उत्पादक जिलों में पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंसों का टेण्डर द्वारा निष्पादन तथा अन्य जिलों में पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के लायसेंसों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2011-12 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के पेज क्रमांक 168(11) में मुद्रित कण्डिका 20.2 ''पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी. एस.-2 लायसेंस के स्वीकृत क्षेत्र में, अफीम के उत्पादन क्षेत्र के आधार पर कृषकों के पास उपलब्ध पॉपीस्ट्रा में से आवश्यकता के अनुरूप पॉपीस्ट्रा का क्रय पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय हेतु स्वीकृत पी. एस.-2 लायसेंसी द्वारा किया जायेगा. 1 जुलाई, 2011 के बाद 30 सितम्बर, 2011 तक जिले के पी. एस.-2 लायसेंसी, जिले के अन्दर किसी भी कृषक से पॉपीस्ट्रा क्रय कर सकेंगे.'' के स्थान पर

''पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी. एस.-2 लायसेंस के स्वीकृत क्षेत्र में, अफीम के उत्पादन क्षेत्र के आधार पर पॉपीस्ट्रा उत्पादन का आंकलन कर, कृषकों के पास उपलब्ध पॉपीस्ट्रा की सम्पूर्ण मात्रा का 40 प्रतिशत माह अप्रैल 2011 में, 30 प्रतिशत माह मई 2011 में एवं शेष 30 प्रतिशत माह जून 2011 में, पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय हेतु स्वीकृत पी. एस.-2 लायसेंसी को अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा. इस अनुपात से कम पॉपीस्ट्रा क्रय करने की स्थिति में, जिले के अन्य क्षेत्रों के पी. एस.-2 लायसेंसी को, पॉपीस्ट्रा क्रय करने की अनुमति दी जा सकेगी. 1 जुलाई, 2011 के बाद 30 सितम्बर, 2011 तक जिले के पी. एस.-2 लायसेंसी, जिले के अन्दर किसी भी कृषक से पॉपीस्ट्रा क्रय कर सकेंगे.'' पढ़ा जाये.

हस्ता./-

(अरूण कुमार भट्ट)

आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.